भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3202
बुधवार, 29 मार्च, 2023 (8 चैत्र, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों पर कर

3202 # श्री नरहरी अमीनः

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक दृष्टिकोण से सहकारी समितियों को राहत प्रदान करने के लिए समितियों के विभिन्न कार्यों पर कर को कम किया है;

(ख) यदि हां, तो किन श्रेणियों के कार्यों में सहकारी समितियों के लिए कर को कम किया गया है; और

(ग) क्या टीडीएस और आयकर जैसे करों से भी सहकारी समितियों को राहत प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): जी हां, मान्यवर । वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के अनुसार सहकारी समितियों के लिए निम्नलिखित आयकर संबंधी लाभ प्रस्तावित किए जा रहे हैं:

(i) दिनांक 01.04.2023 को या उसके बाद स्थापित नई सहकारी समितियां जो दिनांक 31.03.2024 तक विनिर्माण या उत्पादन कार्य आरंभ करते हैं और कोई विशेष प्रोत्साहन या कटौती का उपभोग नहीं करते हैं, को 15 प्रतिशत की रियायती दर पर कर चुकाने के विकल्प की अनुमति देने का प्रस्ताव है जो नई विनिर्माण कंपनियों को उपलब्ध कर दर के समान है । इस घोषणा से विनिर्माण/उत्पादन कार्य करने वाली नई सहकारी समितियों को फायदा होगा ।

(ii) चीनी सहकारी समितियों के लिए मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व गन्ने की खरीद पर किए गए व्यय की किसी कटौती के दावे की अनुमति नहीं होगी । ऐसे पूर्व वर्षों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित या अनुमोदित मूल्य तक ऐसी कटौती की अनुमति देते हुए उक्त व्यय की पुनर्गणना की जाएगी । सरकार के इस निर्णय से चीनी सहकारी समितियों के आयकर के मूलधन में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा । इस उद्देश्य के लिए सभी चीनी सहकारी समितियां, जो इस कटौती के पात्र हैं, से अपेक्षा है कि वे उचित रूप से मूल्यांकन अधिकारी से संपर्क करें।

(iii) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य किया गया है ।

(iv) सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है ।

इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सहकारी समितियों को निम्नलिखत कर लाभ भी प्रदान किए गए थे:

(क) न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) में कटौती: सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटा कर 15% कर दिया गया ।

(ख) सहकारी समितियों के अधिभार में कटौती: 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया ।

****